अपील सूचना अधिकार संख्या 48/2018(RCMS : 2018/00121) मुकेश चलाना पुत्र श्री भगवान दास चलाना निवासी 69 एल ब्लॉक, हनुमान मन्दिर के पास, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार-(राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.08.2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी मुकेश चलाना स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर के प्रतिनिधि श्री बृजलाल शर्मा, ए.ओ.के. उपस्थित। उनके द्वारा प्रतिवेदन 4885 दिनांक 07.08.2018 प्रस्तुत किया गया, जो शामिल किया गया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्रों के संदर्भ में दिनांक 07.09.2017 एवं 11.05.2018 द्वारा सूचना दी जा चुकी है और उसकी अपील में चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध आयुक्त, नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर से है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाये।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी दिनांक 23.04.2018 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे उपलब्ध नहीं होने के कारण, उसके द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है और उसने अपील पत्र में यह प्रार्थना की है कि उसे रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाया जाये एवं वांछित सूचना उपलब्ध करवाकर उसे राहत प्रदान की जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी मुकेश चलाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 18.07.2017, 04.04.2018 एवं 23.04.2018 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

18.07.2017

1. हमारा मकान पूर्व में दर्शन दास पुत्र तनाराम के नाम था वर्तमान में किसके नाम से है। मेरे दादाजी स्व. श्री केसरदास के नाम से बिजली का बिल आ रहा है। हम हमारा मकान अपनी मां के नाम करवाना चाहते है, कृपया प्रतिया उपलब्ध करवावें।

2. मकान मेरी मां के नाम करवाने के लिए आवश्यक कागजात एवं फीस बताएं (69 एल ब्लॉक, श्रीगंगानगर)

3. हमारे मकान से सम्बन्धित रिकॉर्ड किस कार्यालय से सम्बन्धित है, सम्बन्धित कार्यालय का पूरा पता बताएं।

अगर हमारे मकान सम्बन्धित सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बन्धित न हो तो आर टी आई के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग को अन्तरित करके सूचनाएं अविलम्ब उपलब्ध करवाई जावे।

04.04.2018

आगे निवेदन है कि समस्त सूचनाएं आपके कार्यालय से सम्बन्धित इस कार्यालय (आपके) द्वारा पत्र दिनांक 07.09.2017 को क्रमांक 6286 द्वारा अन्तरित किया गया था। जिसका नगर परिषद् द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। आपसे अपील कर निवेदन है कि हमारे मकान संख्या 69 एल ब्लॉक के तीन टुकड़े में से दो टुकड़े अलग–अलग नामसे उनके नाम तहसील कार्यालय से हो चुके है। उनके एन्कलोजर की आवश्यकता है। जिससे हमारा पैतृक मकान हमारी माता के नाम से करवा सके। कृपया मार्गदर्शन कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

23.04.2018

आगे निवेदन है कि हमारा मकान 69 एल ब्लॉक, हनुमान मन्दिर के पास स्थित है जिसके तीन टुकडे है, जिसका एक टुकड़ा–जिसका कोई विवाद नहीं है। जिसके दों टुकड़ें है उनकें हमारे दादाजी के भाई के लड़के है, जिसके पास मकान का ज्यादा कब्जा है वह 4 से 5 साल पूर्व अपनी माँ कौशल्या देवी के नाम रजिस्ट्री करवाने में सफल हो गये है उनके दस्तावेज (एन्कलोजर) एवं रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति एवं दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध करवाई जाये जिसे हम अपना परिवाद न्यायालय में कर सके एव हम अपना मकान हमारी मां के नाम करवा सके। अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न आर.टी. आई. करके निवेदन है कि सूचनाएं इस कार्यालय से सम्बन्धित है। कृपया रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाते हुए सूचनाएं तुरन्त उपलबध करवाई जावे। पत्र श्रीमान्जी की सेवा में प्रस्तुत है।

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 6824–26 दिनांक 07.09.2017 से आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को लिखते हुए प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपके कार्यालय से सम्बन्धित है। समयावधि में निस्तारित कर सीधे ही आवेदक को सूचना नियत अवधि में उपलब्ध करवावें। यदि वांछित सूचना आपके अनुभाग से सम्बन्धित नहीं है तो प्रार्थना पत्र पर सीधे की निकटतम सम्बन्धित विभाग को भिजवाकर आवेदक को सूचित करें। यदि सूचना देय हो तो आवेदक को उपलब्ध करवावें एवं यदि निर्बन्धों के तहत आती हो तो तद्नुसार निर्णय लिया जाकर आवेदक को प्रथम अपील अधिकारी के नाम पद सहित सूचित करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 3110 दिनांक 11.05.2018 से भी प्रार्थी को निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मकान नं 69 एल ब्लॉक के 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़ों तहसील कार्यालय में करवाये है उनके एलक्लोजर की सूचना चाही गई है। तहसील कार्यालय में शहरी प्लाटों/मकानों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। आपके मार्गदर्शन चाहा है, जिसमें यह है कि आप अपने मकान के किसी भी प्रकार के उपलब्ध रिकॉर्ड की प्रति प्रस्तुत कर कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सम्बन्धित नहीं है इसलिए उनके द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आयुक्त नगरपरिषद्, श्रीगंगानगर को भिजवा दिया गया है एवं मार्गदर्शन हेतु भी कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त करने हेतु अपने पत्रांक 3110/11.05.2018 से प्रार्थी को सूचित किया गया है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीगांगनगर द्वारा दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। अपीलार्थी को भी निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर